राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
मानित विश्वविद्यालय
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वाधान में संचालित)
56–57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
DEEMED UNIVERSITY
(Established under the Auspices of the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058

(शैक्षणिक विभाग/Academic Section)

पत्रांक 8-2/RSKS/Acd/Mis/2019-20 **दिनांक : 18/04/2020**

सेवामें,

प्राचार्य

सम्बद्ध विद्यालय/महाविद्यालय

विषय : राष्ट्रव्यापी **lockdown** की स्थिति **online** माध्यम से शिक्षण व्यवस्था संचालित करने एवं **online** पाठ्यक्रम निर्माण सन्दर्भ में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा **online** माध्यम से शिक्षण व्यवस्था संचालन हेतु **online** पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। **वर्तमान सत्र (2019-20) के अध्ययन क्रम में जितने पाठ्यक्रम का अध्यापन हो चुका है, उस पाठ्यक्रम को छोड़कर अवशिष्ट पाठ्यक्रम जिसका इस अवधि (15 मार्च 2020 के बाद) में अध्यापन किया जाना था, उस** पाठ्यक्रम **का online माध्यम से अध्यापन किया जाना छात्रहित में आवश्यक है।**

निर्धारित पाठ्यक्रम निर्माण से सम्बन्धित प्रगति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य का होगा। विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए सभी सम्बन्धित विषय के अध्यापकों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यांश का उत्तरदायित्व देते हुए पाठ्य सामग्री अपने परिसर की वेब साइट पर **25/04/2020** तक **upload** करने का कष्ट करें।

उक्तकार्य संचालन हेतु उद्देश्य –

1. **Lockdown** की स्थिति में छात्रों का अध्ययन शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित न हो इस हेतु विचार विमर्श।
2. छात्रों एवं अध्यापकों का शैक्षणिक सम्पर्क यथाविधि स्थापित करना एवं अध्यापन में आई बाधा को आनलाइन अध्यापन के माध्यम से दूर करना।
3. छात्रों का सतत मूल्यांकन होता रहे इस हेतु एक बृहत् प्रश्नावली तैयार करना जिसमें उनका समाधान भी साथ में सन्निहित हो, यह कार्य सम्बन्धित विषय विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य के निर्देशन में किया जाएगा।
4. अवशिष्ट (१५ मार्च २०२० के बाद) पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई विभाजन की दृष्टि से आनलाइन अध्यापन हेतु स्वाध्याय सामग्री का निर्माण करना।
5. स्वाध्याय सामग्री के निर्माण हेतु विडियो संस्थान की बेब साइट **sanskrit.nic.in** पर उपलब्ध है । जिससे सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(VC) TEL.: 28523949 FAX : 011-28521948 (REGISTRAR) TEL.: 28520979 FAX: 28520976
E-PABX : 011-28520977, 28521994, 28524993,95 TELEFAX : 28524532 (ADMN.) 28521258 (EXAM.) 28524387 (N.F.S.E.)
Gram : 'SAMSTHAN' e-mail : rsks@nda.vsnl.net.in Website : www.sanskrit.nic.in

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
मानित विश्वविद्यालय
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वाधान में संचालित)
56–57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
DEEMED UNIVERSITY
(Established under the Auspices of the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058

6. शिक्षण सामग्री में लिखित सामग्री (**PPT, PDF, Notes etc**), वीडियो माड्युल एवं प्रश्नावली प्राचार्य के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय/महाविद्यालय की वेब साइट पर **upload** करना आवश्यक होगा।
7. छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापक अपने विषय एवं कक्षा के छात्रों को निश्चित समय निर्धारित कर दूरभाष द्वारा या संचार की अन्य व्यवस्था जैसे **whatsapp, facebook, skype** आदि संसाधनों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है।

वर्तमान परिस्थिति (**lockdown**) को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता बनाए रखने हेतु उक्त शिक्षणसामग्री निर्माण हेतु विद्यालय/महाविद्यालय के सभी अध्यापकों की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करते हुए अपने व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा की जाती है।

उक्त पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

18/04/2020

(डा. देवानन्द शुक्ल)
उपनिदेशक (शै.)

(VC) TEL.: 28523949 FAX : 011-28521948 (REGISTRAR) TEL.: 28520979 FAX: 28520976
E-PABX : 011-28520977, 28521994, 28524993,95 TELEFAX : 28524532 (ADMN.) 28521258 (EXAM.) 28524387 (N.F.S.E.)
Gram : 'SAMSTHAN' e-mail : rsks@nda.vsnl.net.in Website : www.sanskrit.nic.in